MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE INDIAN PATENTS AND DESIGNS (AMENDMENT) BILL, 1968

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Indian Patents and Designs (Amendment) Bill, 1968, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 13th August, 1968."

Sir, I lay the Bill on the Table.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at forty mintes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI) in the Chair

RESOLUTION *RE-* CONTINUANCE OF THE PRESIDENT'S PROCLAMATIONS IN RELATION TO THE STATE OF UTTAR PRADESH—*contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D THENGARI): Mr. Rajnarain, you will kindly co-operate with the Chair. As there are many to speak please try to be brief

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैंने 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के सबध मे, सूक्ष्म मे कुछ कहा था । जो रपट हमारे सामने थी, उस रपट मे हमने सेक्शन 7, जो क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेट ऐक्ट का है जो पहले उत्तर प्रदेश के 10 जिलो मे लागू था, को अब सारे राज्य मे लागू कर दिया गया है । इसको सामने रखते हुए सदन के सम्मानित सदस्यो से अपील करूगा कि जरा देखा जाय कि अग्रेजी साम्राज्यवादी तर्कशाही के जो पुराने कानून थे, जो पुराने बान के रूप मे थ, जिन्हे सड़ जाना चाहिये था, जिन्हे निकाल दिया जाना चाहिये था, आज उन्हे ही लोगो के ऊपर चलाया जा रहा है । यह क्रिमिनल लॉ अमेडमेड ऐक्ट क्या है । मै समझता हू कि बहुत से लोग भूल गये है और इसीलिए म उसको थोडा सा पढ देना चाहता हू ·

Section 7 of the Criminal Law (Amendment) Act, 1932 reads as follows :

"7. (1) Whoever—

(a) with intent to cause any person to abstain from doing or to do any act which such person has a right to do or to abstain from doing, obstructs or uses violence to or intimidates such person or any member of his family or person in his employ, or loiters at or near a place where such person or member of employed person resides or works or carries on business or happens to be, or presistently follows him from place to place, or interferes with any property owned or used by him or deprives him of or hinders him in the use thereof, or

(b) loiters or does any similar act at or near the place where a person carries on business, in such a way and with intent that any person may thereby be deterred from entering or approaching or dealing at such place,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both."

यह जो क्रिमिनल लॉ अमेडमेट ऐक्ट है, उसके बारे मे नवाब साहब और श्री याजी साहब से पूछना चाहता हू कि आपने उसके सबध मे क्या किया है । यह जो 1932 का क्रिमिनल ला अमेडमेट ऐक्ट है उसका मकसद क्या है । जो भाषा हमने उसके सबध मे पढी है वह यह है कि जिनकी प्राइवेट तौर पर शराब की दुकाने थी, गाजा, भाग और विदेशी वस्तुओ की दुकानें थी और जो लोग इन के सामने पिकेटिंग करते थे, ऐसे लोगो पर यह लागू होता था ।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : क्या इसका मतलब समझते हो।

श्री राजनारायण : जो बिजनैस मे लगे हुए है, जो किसी व्यक्ति को काम करने से रोकता है उनके ऊपर यह लागू होता था। मगर सरकारी कर्मचारियो के ऊपर यह लागू नही होता था। यानी जो आदमी निजी व्यापार करता था, निजी उद्योग धधा करता था, निजी दुकान करता था, विदेशी वस्तुओ की दुकानो, शराबकी दुकानो गाजा, भाग, की दुकानो, पर पिकेटिंग करता था, सत्याग्रह करता था, उनको 6 महीने की सजा होती थी और 500 रु० जुर्माना होता था। इसमे कहा पर लिखा है कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लेकर जाय कि हमारी मदद की जाय और हमारे खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है, वह उचित नही है, तो ऐसे लोगो को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम मे बाधा पहुचाने पर पकड लिया जाता है। मै उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहता हू कि श्री लक्खी सिह के गाव मे पानी भर गया और लोगो के घरो मे पानी चला गया तो वे यह शिकायत लेकर मजिस्ट्रेट के पास गय। मगर मजिस्ट्रेट ने उन्हे क्रिमिनल लॉ अमेडमेट एक्ट के तहत जेल मे बद करवा दिया। तो मै श्री शुक्ल जी तथा दूसरे सम्मानित सदस्यो से निवेदन करना चाहता हू कि यह क्या चीज हो रही है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि गवर्नर श्री गोपाला रेड्डी स्ट्राग व्यू लेते है। मगर स्ट्राग व्यू किस के लिए लेते है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 400 और 500 आदमी जाते हैं और कहते है कि हमारा गाव पानी मे डूब रहा है और हमारे घरो की रक्षा कीजिये। इस पर वहा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्हे क्रिमिनल लॉ अमेडमेट के मातहत गिरफ्तार करता है। श्री शीलभद्र याजी को इस पर हसी नही करनी चाहिये और उन्हे इस बात को ठीक तरह से हृदयगम करना चाहिये। मै यह निवेदन करना चाहता हू कि आज उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रपति का शासन किस तरह से तथा किस ढग से जनतत्री परम्परा को, जनतत्री प्रथा और व्यवस्था का हनन कर रहा है। हमने यह बात एक उदाहरण के लिए बतला दी है।

आगे देखा जाय। श्रीमन्, यह जो रपट है, हम उसी को लेकर चल रहे है, उसके बाहर नही जा रहे है और सारी कार्यवाही आज वहा पर हो रही है। तीन जगहो पर इस रपट मे यह आया है कि आगामी आने वाले मध्यावधि चुनावो को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा हो रहा है और यह सारी कार्यवाही की जा रही है। आज वहा पर 144 धारा लागू की जा रही है। वहा पर आज क्रिमिनिल लॉ अमेडमेट ऐक्ट की धाराए लागू की जा रही है और सी० आर०पी० की कई दफाए लागू की जा रही है इसमे यह दिया हुआ है

> "During the current year, the major events which caused cconcern to the State Government but were handled firmly and effectively were the communal incidents at Meerut and Allahabad and the agitations launched by the Samyuk Socialist Party and the Communist Party of India (P) Another important event was celebration of the Aradh Kumbh Mela at Hardwar"

मै आपको बतलाना चाहता हू कि सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एक जनतत्रीय, समाजवादी और राष्ट्रीय तथा बुनियादी तबदीली करने वाली पार्टी है। मै पहले भी कह चुका हू और आज फिर कहना चाहता हू कि हम काग्रेस पार्टी का खात्मा चाहते है। हम काग्रेस को जनहित के विरुद्ध, देशहित के विरुद्ध मानते है। काग्रेस ने हमारी देश की एक भी समस्या का समाधान नही किया है। नित्य नई नई समस्याए वह पैदा करती चली जा रही है और हमारी राष्ट्रीय सीमाओ को खतरा ला रही है। आज उत्तर प्रदेश तथा सारे देश की गरीब जनता को उसकी बुराइयो का खमियाजा भुगतना पड रहा है।

केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश को जो अनुदान देती है, उसमे मै पाता हू कि उत्तर प्रदेश को सब से कम अनुदान मिलता है। जहा तक उद्योग-धन्धो का सबध है, उत्तर प्रदेश मे सब से कम उद्योगधद्ये है। जो भी वहा पर सिचाई की योजनाए कार्यान्वित की गई है, अगर उनका हिसाब लगाया जाय तो यह मिलेगा कि दूसरे राज्यो के मुकाबले, वहा पर सिचाई की बहुत कम व्यवस्था की गई है। आप उत्तर प्रदेश मे नही के बराबर सिंचाई की योजनाओ को पायेगे तो ये सब बाते है। वहा पर जो थोडी बहुत मान्यताए राष्ट्रपति शासन के पहले थीं, वे राष्ट्रपति के शासन काल मे नष्ट कर दी गई हे।

श्री शीलभद्र याजी : आपकी वजह से यह हुआ है।

श्री राजनारायण : मै कुछ घटनाओ के सबध मे आपके जरिये सदन के सम्मानित सदस्यो की खिदमत मे पेश करना चाहता हू। 6 अगस्त को राज्यपाल बस्ती जिले गये थे। श्री ब्रज भूषण तिवाडी, जो सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के युवाजन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होने राज्यपाल से कहा कि आप अंग्रेजी की जगह हिन्दी मे अपना भाषण कीजिये। यहा की राजभाषा हिन्दी है। राज्यपाल कहते है कि मै हिन्दी नही जानता हू। वह कहते है कि आप हिन्दी नही जानते है तो तैलगू मे बोलिये जो कि आप की मादरी जबान है। उसी मे बोलिये।

श्री अकबर अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : तैलगू कौन समझेगा? *(Interruption)* He has served in the national struggle, you know.

श्री राजनारायण : वह इतना ब्रिलियेन्ट स्कालर है कि वह खुद अनुवाद कर देता। लेकिन होता क्या है। राज्यपाल साहब कहते हैं–एबसर्ड। और पुलिस कप्तान को हुक्म देते है। कप्तान जाता है और उसी सभा मे ब्रज भूषण तिवारी, जो एडवोकेट है, उन का मुह दबा कर बद कर दिया जाता है। पुलिस के लोग उस का मुह बद कर देते है और जब तक राज्यपाल जी बस्ती मे विराजमान रहते है तब तक ब्रज भूषण तिवारी को पुलिस कस्टडी मे बद रखा जाता है। मै पूछना चाहता हू कि इसी मे क्या राष्ट्रपति का शासन है। क्या आज वहा जनतत्र है? क्या वहा आज जनता की आकाक्षाये अपना स्थान ग्रहण कर पा रही है? आज चतुर्दिक, चौतरफा राजगोपाला रेड्डी साहब अपनी अहम्मयता का प्रदर्शन कर रहे है। वह मुख्य मत्री के कमरे मे जाते है, बठते है, दरबार लगाते है, दफ्तर करते है। असल मे उस मे खामी क्या है। वह मुख्य मत्री रह चुके है ..

श्री अकबर अली खान : यह तो डेमोक्रेटिक है।

श्री राजनारायण यह समय हमारे समय मे नही जुडेगा। अगर डेमोक्रेटिक है तो उसका एक उदहारण मैने दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : राज नारायण जी, दो तीन मिनट मे आप वाइड अप कीजिये।

श्री राजनारायण : नही हो पायगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : हो पायेगा।

श्री राजनारायण : दो, तीन मिनट मे नही हो पायेगा। भाषा का सवाल है। भाषा के सवाल पर कहना चाहता हू कि श्री गोपाला रेड्डी राष्ट्रपति शासन की जो सरकार आज वहा चला रहे है उस मे जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी सीख रहे थे, अंग्रेजी को भूल रहे थे, जब से यह राष्ट्रपति का शासन वहा हुआ है तब से वे जो हिन्दी सीखे थे वह भी भल गये और पुराने स्थान पर पुन आ गये। इसीलिये एक मिनट के लिये भी उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रपति का शासन, इस की अवधि वहा नही बढायी जानी चाहिये।

उसी के साथ साथ अनेक अपराध वहा पर बढते चले जा रहे है और इस ढग से अपराध हो रहे है कि उन मे कत्ल बढा है, डाका बढा

[श्री राजनारायण]

है और डाके और कत्ल मे जो वहा के पुलिस के कर्मचारी है, जो पुलिस के अधिकारी है, सब शामिल है। आज जितनी वहा सीमा पर हत्याये होती है उन सब हत्याओ मे वहा की पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी शामिल है। यह सब घटनाये हो रही है आगामी मध्यावधि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो मै कहना चाहता हू कि गरमी आ रही है। काग्रेस पार्टी के लोग चीफ सेक्रेटरी को अपना गुलाम बना कर रखे हुए है। चीफ सेक्रेटरी उन के घरो मे जा कर दरबार करता है और चीफ सेक्रेटरी को जो जो हिदायते दी जाती है कि फलाने का ट्रान्सफर फला जगह कर दो, फलाने का फला जगह ट्रान्सफर कर दो, फलाने अफसर को फला जगह रख दो, उसी तरह वह करता है और चीफ सेक्रेटरी उन काग्रेस के नेताओ के इशारे पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलवा रहा है और जिस को जहा चाहे रखता है।

कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार आज इतना ज्यादा बढ गया है कि किसी दिन अगर आप को मौका मिले तो उत्तर प्रदेश मे जा कर देखे कि यह चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है। राष्ट्रपति के शासन मे एक एक जिले मे एक एक कुनबा है। एक ही कुनबे का है कमिशनर भी, कलेक्टर भी, पुलिस कप्तान भी और रेवेन्यू डिपार्टमेट मे तनज्जुली कर के भेजे गये लोग वहा से निकाल निकाल कर फिर कमिशनर के पदो पर रखे जा रहे है। यह सब क्या है ? यह तानाशाही है। हमारे बनारस मे एक आदमी बहुत दिनो से था। उस को तरक्की कर दी गयी। ट्रान्सफर हो रहा था, एक नया पद क्रिएट कर दिया गया और उसे उस पर बिठा दिया गया। यह सब नित्यप्रति आज वहा हो रहा है। इस लिये मै एक मिनट के लिये नही चाहता कि वहा पर राष्ट्रपति शासन की अवधि बढायी जाय।

अब चले आइये कानपुर की तरफ। हमारे मित्र शुक्ल जी इस समय यहा पर नही है। हम ने बताया था कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम पूजीपतियो को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यह कानपुर के वी०आई०सी० का झगडा क्या है? आगामी चुनाव। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चूकि श्री श्रीप्रकाश के रहते हुए काग्रेस पार्टी के लिय गुप्त जी नही आ पा रहे है। इस लिये आज वहा 25तिकडम की जा रही है। आप स्वय समझदार आदमी है। हम को कोई नजीर दे दीजिये कि 3 महीने बीत गये क्यो वहा के मैनेजिंग डाइरेक्टर और वहा के एक्टिव डाइरेक्टर इन दोनो को कफर्म नही किया सरकार ने और श्री हिम्मत सिह जी ने जो मीटिग 3 तारीख को थी उस मे कह दिया कि आप लोगो का पीरियड खत्म हो गया, आप कफर्म नही हुए इसलिये इस मीटिग मे आपको भाग नही लेना चाहिये। आज सारे का सारा वी० आई० सी० और उस के कारखाने ठप्प हो रहे है क्योकि सरकार आज यह चाहती है कि वहा पर इस तरीके से किसी सरकारी कर्मचारी को रखा जाय जिस के जरिये आगामी आम चुनाव मे लाखो लाख रुपया काग्रेस पार्टी को मिल सके। हम ने यही पर एक माग रखी थी, हमारे भाई दिनेश सिह जी नही है वरना आज उन के बारे मे कहता। मै अभी रायबरेली गया था। रायबरेली श्रीमती इदिरा नेहरू गाधी जी का निर्वाचन क्षेत्र है

श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह (बिहार) : जनाब वाइस चेयरमेन साहब, आप 50 मिनट बोल चुके। हाउस मे और लोगो को भी बोलना है और हम लोग जब इसी विषय पर बिहार के बारे मे बोले थे तो हम को समय पर रोका जाता था। ऐसा न हो कि एक व्यक्ति की मोनोपाली हो जाय। हम इस मोनोपली को रोक रहे है। आप से मै निवेदन करता हू कि 50 मिनट माननीय सदस्य को हो गये है भाषण करते हुए, उनका किस्सा तो एन्डलैस है, द्रौपदी के चीर की तरह है। हम लोगो के इटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाय, यही आप से करबद्ध प्रार्थना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : राजनारायण जी, आप दो तीन मिनट मे समाप्त कर दे।

श्री राजनारायण : जितनी देर इन सदस्यों ने मेरा समय लिया है उतनी देरमें मैंने समाप्त कर दिया होता । इन लोगों ने कुछ नयी बातें उठायी हैं, उन का जवाब तो देना ही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : आप तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं । आप बाकी सदस्यों पर अन्याय न करें ।

श्री राजनारायण : बाकी सदस्यों पर तो मैंने कभी अन्याय करने की कल्पनाही नहीं की । इस लिये मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन दोनों सदस्यो के सवालों का मुझे जवाब न देना पड़ता तो मैंने समाप्त कर दिया होता दो तीन मिनट में ही, मगर अब उन का जवाब देना पड़ेगा ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Many of us, the Members of the Opposition, went to a meeting of the State Governments and the Central Government employees. I heard their complaints. They are not allowed to come near the gates of the Parliament House. Therefore, I want to bring to your notice that they have asked me to bring it to the notice of this House just now. The Home Minister should explain why they should not be allowed...

SHRI AWADEHSHWAR PRASAD SINHA : Why should they be allowed to come to the Parliament? They have no business to come here.

SHRI BHUPESH GUPTA : They have come here to petition the Parliament. Certainly they have that right. It has been brought to my notice and I consider it my duty. The Central Government's and the State Governments' employees have come here from all over the country. They want to come near the gates of the Parliament House in order to present a petition to the Parliament and they are not allowed. They have to wait there near Krishi Bhavan, some distance away. I think the Home Minister should see to it.

श्री राजनारायण : यह तो मेरा विषय ही है । भूपेश जी, रुको न, काहे चले गये । उत्तर प्रदेश का राज कर्मचारी आज यहां आया हुआ है । उत्तर प्रदेश के राज कर्मचारियों को वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष भत्ता नहीं दे रही है । क्यों नहीं दे रही है ? यह उन की मांग है, पुरानी मांग है, सही मांग है और अगर उत्तर प्रदेश का कर्मचारी यहां आया तो सरकार उन को कहे कि तुम पार्लियामेंट भवन तक नहीं जा सकते हो इस से बढ़ कर तुगलकी बदतमीजी का कानून क्या होगा । इस से बढ़ कर जनतंत्र की परम्परा को विनष्ट करने वाली बात क्या होगी ? आप देखें, समाचार-पत्रों में आप ने पढ़ा होगा कि 24 दिसम्बर को सारे उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षा के अध्यापक हड़ताल करने जा रहे हैं । कोठारी कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो रही है । उस दिन हमारे शिक्षा मंत्री और घर मंत्री दोनों विराजमान थे । उन दोनों ने कहा कि कहीं से भी हड़ताल का नोटिस नहीं है । सरकार को इस की जानकारी नहीं और यह सरकार शासन चला रही है । 24 दिसम्बर से उत्तर प्रदेश का अध्यापकवर्ग हड़ताल पर जा रहा है । अगर उस समय तक कोठारी कमीशन की सिफारिशों के अनुसार उनकी तनख्वाहें नहीं की गयीं तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि वहां आज विद्यार्थियों की भर्ती नहीं हो रही है । अगर वहां राष्ट्रपति का शासन है तो तम्बू छप्पर लगा कर शिक्षा दिलायी जाय, वहां उन के पढ़ाने की व्यवस्था हो । अगर कोई गगनचुम्बी अट्टालिका न हो तो उन की पढ़ाई नहीं होगी यह कहां की इंसानियत की बात है, कहां की व्यवस्था है । इसी के साथ साथ . . .

(Time bell rings)

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : अब आप वाइन्ड-अप कीजिये ।

श्री राजनारायण : यह घंटी वाइन्ड-अप करने के लिये नहीं बजाई जाती है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वत्तोपन्त ठेंगड़ी) : मैं बोल रहा हूं ।

श्री राजनारायण : तो अब हम को दो तीन मिनट और दे दीजिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी) : नहीं, नहीं, अब जल्दी कीजिये ।

श्री राजनारायण : आप दो तीन मिनट और दे दीजिये । "वाइन्ड अप, वाइन्ड अप" कहने की चेयर पर जा कर के आदत पड़ जाती है । अगर आप यह न कहें तो अपने आप खत्म हो जाय । इतना समय तो चेयर ही ले लेता है ।

उसी के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहा पर बिजली की दर बढ़ाई गई, इस राज्यपाल के शासन में जहां पर सिंचाई की दर बढ़ाई गई, जहां पर टेक्निकल शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को जो स्टाइपेंड मिलता था वह स्टाइपेंड बन्द कर दिया गया, जहां पर शिक्षण संस्थाओं में उनकी भरती बन्द कर दी गई और जहां पर यूनियनों की मान्यताएं आज साजिश कर के सरकार छीन रही है । इसके अतिरिक्त वहां पर हत्याएं होती हैं, कत्ल होते हैं, थाने पर जायं तो रपट नही लिखी जाती है, पुलिस वाले डायरी बनाते नहीं है । इस लिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन को समाप्त कर दिया जाय और शीघ्रातिशीघ्र वहां पर चुनाव कराये जायं । आज केन्द्र के कांग्रेसी शासनसे चाहे वह श्री दिनेश सिंह जी के मार्फत हो, चाहे प्रधान मंत्री के मार्फत हो, चाहे वित्त मंत्री के मार्फत हो, चाहे घर मंत्री के मार्फत हो, उत्तर प्रदेश में जितनी कम्पनियां हैं वे सब टेरोराइज्ड हैं, आतंकित हैं और उनको भय दिखा कर के उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया जा रहा है । कांग्रेस के साथ में स्थायी ताकत देने के लिये आज पूरे उत्तर प्रदेश में हिन्दू मुस्लिम दंगे, जातियों का सघर्ष, विद्यार्थियों पर दमन, अध्यापकों पर दमन, यह सारा काम हो रहा है और यह सरकार समझती है कि हम हिटलरशाही और तानाशाही चला कर के उत्तर प्रदेश को काबू में रख सकेंगे । हम यह बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है जिस ने अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन का जम कर मुकाबिला किया चाहे वह 1920, 21 की लड़ाई रही हो, चाहे वह 1930 की लडाई रही हो, चाहे वह 1942 की लड़ाई रही हो । उत्तर प्रदेश वह राज्य रहा है जहा से क्रांति सदैव फूटी है चाहे वह 1857 की साम्राज्य विरोधी क्राति रही हो या कोई और क्रांति रही हो और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश कांग्रेसी शासन के कुशासन के कारण उसकी कब्र बनाकर के रहेगा । इस लिये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार जनतंत्रीय और सभ्य साधनों का इस्तेमाल करे, नागरिकता का हनन न करे, नागरिक अधिकारों का हनन न करे, अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के ज़रिये बनाये हुये काले कानूनों का गलत इस्तेमाल कर के जनतंत्रीय और नागरिक अधिकारों का हनन न करे । यह आप के ज़रिये मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं ।

श्री तारकेश्वर पांडे (उत्तर प्रदेश) : श्रीमान, मैं आशा करता हू कि श्री राजनारायण जी का आधा समय हम को मिलेगा ।

श्री राजनारायण : मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारा दूना टाइम उनको दिया जाय । अब मैं जवाब नही दूगा और वह समय भी आप उनको दे दीजिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इसका आप जवाब क्या देंगे ।

श्री तारकेश्वर पांडे : राजनारायण जी अब आप जा कहां रहे हैं ?

श्री राजनारायण : ज़रा राज्य कर्मचारियों के यहां अब हो लें ।

(Interruption.)

श्री तारकेश्वर पांडे : श्री राजनारायण जी ने भावना में बह कर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे कहीं मेरी सहमति नहीं हो पाती है यद्यपि वे मेरे छोटे भाई हैं। वास्तविक स्थिति क्या है, सत्य क्या है उस पर परदा नहीं डाला जा सकता है। जब कांग्रेस बहुमत में नहीं रही तो हमने त्यागपत्र दिया और जिन लोगों ने अपना बहुमत कर के शासन स्थापित किया उनको हमने अवसर दिया और एक विरोधी दल की तरह से हमने आचरण किया और काम किया। वे दल आपस में मिल कर के काम नहीं कर सके। उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है। एक इतिहास के विद्यार्थी की तरह से मैं कह सकता हूं कि सब से बड़ी ज़िम्मेदारी श्री चरण सिंह की है जो पदलोलुपता के कारण कांग्रेस छोड़ कर चले गये, दूसरी ज़िम्मेदारी किस की है? संयुक्त समाजवादी दल की है और संयुक्त समाजवादी दल में भी उस पक्ष की है जिस का नेतृत्व श्री राजनारायण जी कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह है कि यह विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें छः महीने का हम समय दें या एक मिनट, एक क्षण का भी समय न दें। व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोच कर अगर हम बिल्कुल समय न दें और इस विधेयक को अस्वीकृत कर दें तो क्या होगा, किस का शासन होगा, इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। इस लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकी उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं इस संदर्भ में एक दो बातें कहना चाहता हूं।

यह बात सही है कि इसके लिये राष्ट्रपति शासन जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम को इस तरफ देखना चाहिये, विचार करना चाहिये कि डकैती और खून के मामले जो हैं, अपराध जो हैं, वे बड़े हैं और उनकी रोकथाम करने के लिये शासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा अनुमान है कि मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और हमीरपुर में जो संगठित दल हैं उनकी सफाई करने के लिये प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें पूर्णतया सफलता नहीं मिल सकी है। इस तरफ विशेष आक्रमण, संगठित आक्रमण करने की आवश्यकता है जिस से अपराधों को रोका जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बलिया जिले में एक विचित्र किस्म का अपराध बढ़ रहा है जिस की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां जहर से बुझी हुई सुई मनुष्य के शरीर में चुभाई जाती है। उससे दो तीन मृत्युएं हो चुकी हैं और इससे वह इलाका, वह ज़िला बड़ा त्रस्त है कि इसका कैसे उपाय किया जाय, कौन सा ऐसा उपाय किया जाय कि इस तरह का अपराध करने वाले जो लोग हैं उनको दंड दिया जाय। मेरा सुझाव है कि इसमें उच्च कोटि के जो सी० आई० डी० के अधिकारी हैं उनको यह काम सुपुर्द कर दिया जाय जिस से वे जांच-पड़ताल कर के ऐसे अपराधियों को दंड दिला सकें और इस गिरोह का खात्मा कर सकें।

मैं तो अमर भारती का उपासक हूं और कभी कभी मेरे मन में यह भाव उठता है जो आप के समक्ष और इस महान सदन के समक्ष व्यक्त कर देता हूं। वह कितना बड़ा दुर्दिन इस देश का था जब हमारे ऋषियों ने जिन स्थलों पर वेद की रचना की थी, वे स्थल हमारे पास नहीं रहे और भारत का विभाजन हुआ। यह इतिहास का प्रश्न है। आगे आने वाली संतति पर मैं इसे छोड़ देता हूं कि वह भारत के भविष्य का उचित निर्णय करे। हमने इसके विभाजन को स्वीकार कर लिया है। अब मुझे कोई कारण नहीं मालूम होता है कि साम्प्रदायिक उपद्रव हों। हिन्दू और मुसलमान दोनों की समान गति है, समान स्थिति है आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और शासन में। मेरी यह बिल्कुल निश्चित धारणा है कि यहां हिन्दू और मुसलमानों

[श्री तारकेश्वर पाडे]

के लिये कोई पक्षपात नही है और समान रूप से सभी के साथ यह शासन व्यवहार करता है। फिर क्या कारण है कि यह उपद्रव हो रहे हैं। विशेषतया गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गाजीपुर में छुटपुट उपद्रव हुये, साम्प्रदायिक उपद्रव हुये। अधिकारियो की सभी दलों की और विशेषतया जो लोग शासन चला रहे हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे इस प्रकार के उपद्रवों को रोके। मै चाहता हूं कि शासन इस तरफ ध्यान दे। मै चाहता

3 P.M.

हूं गृह मंत्री इस पर विशेष ध्यान दे। हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत और अरबी इन दोनों भाषाओ के लिए एक अलग ही निरीक्षक संस्था है। यह कितनी बडी विडम्बना है राष्ट्रपति शासन की। मुझे बडा दुख है। इस सम्बन्ध में मैने आवेदन-पत्र दिया है। गृह मत्री से भी मिला हूं, राज्यपाल महोदय को आवेदन-पत्र भेजा है। अरबी को मै विदेशी भाषा मानता हूं। संस्कृत को इस देश की भाषाओ की जननी मानता हूं और हमारे संविधान की वह एक भाषा है। सरकार आदेश देती है कि सस्कृत विभाग को जो शिक्षा निदेशक का विभाग है उसमें शामिल कर दिया जाय, इसको मै ठीक नही समझता हूं। स्थिति क्या है? इस समूचे हिन्दुस्तान में जो सस्कृत पाठशाला और महाविद्यालय चलते है उनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश में चलते हैं। यदि इस प्रकार का आचरण किया गया तो उसका परिणाम यह होगा कि संस्कृत भाषा की क्षति होगी और साथ ही साथ भारतीय सस्कृति और पुरातन वांगमय को ठेस पहुचेगी। मै चाहूगा कि इस पर शीघ्र ध्यान दिया जाय और इसको जिस तरह से शिक्षा कमीशन ने कहा है उसी तरह से रहने दिया जाय।

हमारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा संचालित आगरा, गोरखपुर और कानपुर विश्वविद्यालय है जो जिलों मे फैले हुए विभिन्न महाविद्यालयो का संगठन करते है और मान्यता प्रदान करते है। आगरा, कानपुर और मेरठ, इन विश्वविद्यालयो के जो कालेजेज है, डिग्री कालेजेज उनको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाने का अधिकार है, गोरखपुर विश्वविद्यालय को नही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीछे 14 जिले है और वे पूर्वांचल के पिछडे हुए जिले माने जाते हैं। मेरी यह प्रार्थना है इस विधेयक मे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक है उसमे सशोधन कर देना चाहिए, जिससे गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त जो डिग्री कालेजेज है वे यदि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलना चाहे तो उनको यह सुविधा मिलनी चाहिए, जैसी की समूचे प्रदेश में है। आज जो स्थिति है उसका परिणाम यह होता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जो गरीब और साधनहीन बच्चे हैं वे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस जाकर विद्या अध्ययन नही कर पाते हैं, बी० ए० पास करने के बाद उनकी क्षमता समाप्त हो जाती है। मेरी यह प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध मे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मै यह समझता हूं कि समान शिक्षा हो, समान योग्यता हो, समान काम हो तो समान वेतन मिलना चाहिए, केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार, विश्वविद्यालय हों या महाविद्यालय हों यानी डिग्री कालेजेज हो।

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मै यह जानना चाहता हूं कि क्या कोरम का इस सदन के लिए कोई प्रतिबन्ध है? क्या इस समय कोरम है?

श्री शीलभद्र याजी: राजनारायण जी, कोरम लेकर चले गए है, सबको डेपूटेशन मे लेकर चले गए है।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश): संसद् को पूरा करना चाहिए कोरम।

श्री तारकेश्वर पांडे: मुझे आज्ञा है?

एक माननीय सदस्य: है।

श्री तारकेश्वर पांडे : बडा अनुगृहीत हू । तो जो डिग्री कालेजेज मे अध्यापक काम करते ह और विश्वविद्यालय मे काम करते हैं उनका समान काम है, समान योग्यता है तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, इसको कमीशन ने स्वीकार किया है, शिक्षा आयोग ने । यह हमारे उत्तर प्रदेश मे नही है । प्रजातात्रिक शासन हो, उस पर यह छोड दिया जाय, इसकी आवश्यकता नही है क्योकि इससे अध्यापको के संगठन को प्रोत्साहन मिलता है और उनकी कोमल मति पर इसका कुप्रभाव पडता है । इसलिए मै चाहता हू कि जितना शीघ्र हो सके इस काम को किया जाय ।

इसी सन्दर्भ मे जिला परिषद, म्युनिसिपल, कारपोरेशनो और म्युनिसिपल बोर्डस मे जो अध्यापक काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक काम करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनके सम्बन्ध मे कहना चाहता हू । उनका वेतन बहुत कम है । मैने उत्तर प्रदेश मे चारो तरफ देखा है, नैपाल—वह हमसे पिछडा हुआ देश कहा जाता है—बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पजाब, इन सबकी फिगर मैने कलेक्ट की है मुझको यह लगता है कि उत्तर प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षा के लिए हाई स्कूल योग्यता रखी गई है और इन्टरमीडिएट रखी गई है मिडिल स्कूलो के लिए । वेतन नही बढाया गया है । मै चाहूगा कि इस पर विचार किया जाय । कहा जाता है कि हमारा आर्थिक सतुलन बिगड जायगा । अगर अध्यापको का वतन देने मे आर्थिक सतुलन बिगडता है तो सब उपाय किए जाये, लेकिन ये शिक्षक हैं, गुरु है छोटे छोटे बच्चो के जो राष्ट्र का निर्माण करत है । उनको अगर वेतन नही दिया गया तो व पढा नही पाएगे, काम नही कर पाएगे, उनको बुद्धि स्थिर नही हो सकेगी बल्कि चचल होगी । उसमे राष्ट्र का अहित होगा । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वेतन जो शिक्षा आयोग द्वारा स्वीकृत है वह दिया जाय ।

अब सरकारी कर्मचारियो के सम्बन्ध मे मै कहना चाहता हू । जो सरकारी कर्मचारी हो वह मुझे माफ करेगा । यह सामाजिक दोष मै मानता हू, अपने देश का दुर्भाग्य है कि जो जिस कार्य को करता है वह मन और रुचि लगा कर नही कर पाता है । क्या किया जाय ? वस्तुस्थिति यही है । इसलिए सामाजिक दोष पर विचार करके इसका सुधार किया जाय, यह एक प्रश्न है । दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे गाजियाबाद है, यह दिल्ली शहर से मिला हुआ है । अब इस गाजियाबाद के क्लर्क को जो वेतन मिलता है उससे अधिक वेतन उसी योग्यता के दिल्ली शहर के क्लर्क को मिलता है । तो छोटे और बडे शहर का विचार कर आर्थिक सकट का सतुलन तो बिठा लिया जाय लेकिन आम तौर से समूचे भारतवर्ष मे एक प्रकार की योग्यता और एक प्रकार का कार्य करने वाले सारे सरकारी कर्मचारियो को वेतन और महगाई भत्ता समान रूप से मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

हमारे उत्तर प्रदेश मे इस बारे मे बडी छानबीन हो रही है कि ग्राम सभा की जो भूमि है उसको जो लोग साधन-सम्पन्न हैं उन लोगो ने आपस मे बाट लिया है अनुचित रूप मे । मेरी प्रार्थना है कि ग्राम सभा की भूमि को जो बिना जमीन के काश्तकार है उनको दिया जाए । सरकार के पास समूचे प्रदेश मे जिले जिले मे बहुत सी ऐसी भूमि है जिसका प्रबन्ध उन लोगो के लिए कर दिया जाय जो बिना जमीन के किसान हैं । यदि ऐसा नही किया गया तो नतीजा क्या होगा ? लोग जमीनो पर आधिपत्य करेगे, आप उनको हटाएगे, बलवा—फसाद होगा, जुर्म बढगा अपराध बढेगा, लाभ कुछ नही होगा । हमारे उत्तर प्रदेश मे ऐसे बहुत से लोग है जो बिना जमीन के काश्तकारी करते हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनकी बडी भारी समस्या है । सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण

[श्री तारकेश्वर पांडे]

से उनकी दयनीय अवस्था है। उस अवस्था से उनको उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उनको साधन-सम्पन्न बनाया जाय। यह बड़ा आसान काम है। जो जमीन खाली है ग्राम सभा के पास उसको तथा दूसरे सब प्रकार की जमीन को लेकर उसका बन्दोबस्त उनके लिए किया जाय।

हम कांग्रेस के इस प्रस्ताव की तरफ, जो हमारे इलेक्शन मेनीफस्टो में था, ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने निर्णय किया था, पिछली जो सरकार थी जिसका पतन हुआ और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसने भी यह निर्णय किया था पर वह लागू नहीं हो सका। अपनी जिद के कारण मुख्य मंत्री ने उसको लागू नहीं किया कि जो अलाभकारी जोत है, जो कि साढ़े छः एकड़ तक की भूमि मानी गई है, उस पर लगान नहीं लेना चाहिये, उस पर से लगान उठा लेना चाहिये और जैसे आमदनी के आधार पर आमदनी कर लगता है उसी तरह से भूमि के सम्बन्ध में भी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस प्रकार की भूमि पर आमदनी हो उसी प्रकार से उस पर कर लगाना चाहिये। तो यह व्यवस्था लागू करना चाहिये।

मैं सन् 1952 ई० से एक साधारण पुरुष इस महान सदन का सदस्य रहा हूं और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सुनता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष है, भारतवर्ष ही उत्तर प्रदेश है लेकिन जब उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विचार करता हूं तो मालूम होता है कि शिक्षा, उद्योग और जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं सब में हिन्दुस्तान के और राज्यों में जितनी प्रगति हो रही है उससे कम अनुपात में उत्तर प्रदेश की प्रगति हो रही है। उसका कारण क्या है? और किसी को संदेह होगा लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के प्रति इस केन्द्रीय शासन की एक परम्परागत उपेक्षा रही है। इस उपेक्षा का अन्त होना चाहिये। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश इस वक्त केन्द्र ही उत्तर प्रदेश का शासन कर रहा है और इसलिय मैं चाहता हूं कि इस उपेक्षा नीति का अन्त किया जाय और औद्योगिक उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश को विशेष अनुदान दिया जाय। जनसंख्या और आय, यही दो आधार हैं किसी राज्य का केन्द्र द्वारा सहायता पाने का, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी है लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश की उन्नति नहीं होगी तब तक उत्तर प्रदेश से आय कर आपको अधिक मिल नहीं सकता है, कहां से मिलेगा, इसलिये मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के साथ कुछ उदारता की जाय जिससे कि उत्तर प्रदेश और राज्यों के समान आ सके। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

हिन्दी भाषा के प्रति संविधान में आस्था व्यक्त की गई है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान शासन ने पिछली सरकार और कांग्रेस की सरकार ने हिन्दी की प्रगति के लिय जो उत्तरोत्तर काम करती रही है उसमें कुछ रुकावट डाली है, उसमें कुछ रुकावट हो गई है।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa): Have Sanskrit. I have no objection if you say Sanskrit. Don't highlight Hindi. I am with you if you say Sanskrit.

SHRI TARKESHWAR PANDE: The whole difficulty is, Hindi is the eldest daughter of Sanskrit and. . .

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): It is not correct.

SHRI TARKESHWAR PANDE: If it is not correct let us talk and let us find out the correct position.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Don't make assertions.

श्री तारकेश्वर पांडे: मेरी प्रार्थना यह है कि संस्कृत जो है वह जननी है हमारे देश की भाषाओं की। मैं तो यह भी मानता हूं, कुछ लोगों को शायद इसमें कुछ परेशानी होगी, मालवीय जी का वह वाक्य मुझ याद है जो कि मालवीय जी ने कहा था, कि जो

लडको केवल मां के अलकारो से ही अपने को सवारना चाहती है वह लायक लडकी नही है, योग्य लडकी नही है, उस लडकी को जिस स्थल पर वह जाय उसके वातावरण से भी अपने को सवारना चाहिय। मेरी यह भी मान्यता है कि सस्कृत भाषा से तत्सम शब्द हिन्दी मे आने चाहिये और इसके साथ यह भी मेरी मान्यता है कि सस्कृत के अतिरिक्त जिस प्रकार का वातावरण हो उस प्रकार के शब्द हिन्दी मे आने चाहिये और उसको समृद्ध बनाना चाहिये। यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश का जन-मानस जो है वह हिन्दी को चाहता है, इसमे कोई दो राय नही है, जब हिन्दी को जन-मानस चाहता है तो जन-मानस के विपरीत कोई आचरण करना राष्ट्रपति शासन मे उचित नही है। जनता हिन्दी को चाहती है और मेरा तो सिर्फ यही निवेदन है कि इन दिनो मे जो हिन्दी के प्रति भाव व्यक्त किये गये है या जो काम किया जा रहा है उसको कुछ रोकना चाहिये। यह उचित नही है कि पिछले दिनो मे हिन्दी की प्रगति के लिये जो एक परम्परा स्थापित की गई है और पिछली सरकार जो आई उसने भी और उस परम्परा को सुदढ किया तो अब कुछ दिनो के लिये जो राष्ट्रपति शासन है उसमे कुछ ऐसा हम न करे कि हिन्दी की उपेक्षा हो, यही मेरा निवेदन है। इसमे कोई बहुत कडाई नही है कि सस्कृत हो या हिन्दी भाषा हो या कोई और भाषा हो, यह तो आपस मे बातचीत कर के तय किया जा चुका है, अगर इस अध्याय को फिर प्रारम्भ करना है तो यह बडे लोगो का काम है जिसमे कि आप सब लोग है, वह निर्णय कर लीजियेगा, लेकिन मेरा तो केवल इतना ही निवेदन था।

अब मै एक तीसरी और अन्तिम बात कहना चाहता हू जो कि कोई विवाद का विषय नही है। मेरा जो थोड़ा बहुत उत्तर-प्रदेश का ज्ञान है और जो म और राज्यों के सम्बन्ध मे भी जपनता हू उसके आधार पर मेरा निवेदन है कि जिन लोगो ने इस देश के लिये काम किया और देश जो स्वतत्र हुआ उन देशभक्तो की अकारण कुछ परिस्थिती खराब हो जाती है तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, विवाह हो, कोई मौत हो गई हो या और कोई विषम परिस्थिति हो गई हो उसमे आर्थिक सहायता दी जाती है और दूसरे यह है कि जो साधनहीन है उनको आर्थिक सहायता के रूप मे मासिक पेशन दी जाती है और अब मुझे मालूम हुआ है कि इस समय सरकार ने आर्थिक सहायता और मासिक पशन देना राजनैतिक पीडित को समाप्त कर दिया है, जो लोग पिछली सरकार मे पाते रहे है वह तो कायम है, वह पेशन ले रहे है, लेकिन अब जो आर्थिक सहायता और पेशन पात रहे है वह उनको बन्द कर दिया है। अब मै किस की कहानी कहू और किसी की दर्दनाक स्थिति का वर्णन मै आपसे क्या करू लेकिन मै इतना जरूर आपसे कह सकता हू कि कितना बडा दुर्भाग्य है कि आगे आने वाली पीढी जो है वह यह याद न रख अपने उन पूर्वजो को जिन्होने स्वराज्य के लिये काम किया, तिल तिल कर मरे खपे और गोली खाई, हम तो उस जिले के रहने वाले है जिस जिले मे 1942 ई० मे ब्रिटिश शासन नही था, काग्रेस के नेता श्री चित्तूपाडे के नेतृत्व मे एक सरकार बन गई थी और मुझे स्मरण नही है कि उस जिले मे कोई ऐसा गाव होगा जिसमे कोई जेल न गया हो और जिसमे किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्षति नही हुई हो, गाव के गाव जला दिये गये, बर्बाद हो गये। तो इसी प्रकार की और राजनैतिक परिवारो की भी स्थिति है। सारी जवानी को लोगो ने झोक दिया इस राष्ट्रीय आन्दोलन मे और वह नही चाहते है कि उनको कोई सहायता दी जाय लेकिन हम चाहत है कि उनको सहायता दी जाय क्योकि हमारे स्वतत्रता सग्राम के वे वीर सैनिक

[श्री तारकेश्वर पांडे]

रहे है, अब वह संकट में हैं, आर्थिक कष्ट में हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिये हमारे उत्तर प्रदेश में उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाती थी पुस्तकों के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में, और अगर कोई कुछ असाधारण विपत्ति आये तब आर्थिक सहायता दी जाती थी और उनको कुछ पेंशन दी जाती थी, लेकिन इसको बन्द कर दिया गया है। मेरा गृह मंत्री जी से यह निवदन है कि वह राज्यपाल महोदय को यह निर्देश करें, उत्तर प्रदेश शासन को निर्देश करें, कि इस व्यवस्था को बन्द न किया जाय, नहीं तो जो गरीब हैं, जो मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं उनकी एक बड़ी भारी आह निकलेगी, उनकी आत्मा को आप सताये नहीं, यह मेरा आपसे अंतिम निवेदन है।

म आपका और अधिक समय नहीं लूंगा और इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Vice-Chairman, Sir, I do not think it is necessary to go into the question as to how Uttar Pradesh has come to be administered under President's Rule under our Constitution but certainly what is happening in Uttar Pradesh makes one sad. The previous speaker has just drawn our attention to the great sacrifices that the people of his District—Ballia District—made during the struggle for freedom. I have remembered them in this House more than once and I have pointed out that the Administration of Uttar Pradesh has paid hardly any attention to them. I know, soon after independence or even before when the first truce was declared and the Congress leaders were released from jail, a fleet of cars, posh cars, went to Ballia, saw the people and assured them that they would not be forgotten, that their great sacrifices would be remembered. I do not know who in the administration of U.P. remembers them today. Has anything been really done to rehabilitate the people who were driven away from their hearths and homes when the British tommies burnt down village after village? That is a very sad commentary on the twenty years of Congress rule. Is it not the same case in other spheres? U.P. has had the great advantage of giving all the Prime Ministers to this country. U.P. has had the great advantage of having perhaps the biggest Legislative Assembly the biggest representation in Parliament and yet why is it that these conditions prevail? Perhaps literacy is the lowest in India in that State. Industrial development is backward, even though it is so near to Delhi. There are a few spots like Kanpur which have developed so well. What is the reason for this? I could go on repeating the failings and pointing out what has been done and what has not been done. It is not my purpose to recite a catalogue of the failings of the Congress Government today, but I do feel that the people of U.P., the poor people of U. P. deserve a better deal. If there are not many cities, large industrial cities in U.P., I would not consider it a great handicap, because our country, after all, is based on an agricultural economy and if the Government is doing everything to help agriculture, it would help the people. I hope modern methods of improved agriculture, the high-yielding rice seeds are being made available to the people in a larger measure. Once the agriculturist gets the benefit and the advantage of using this high-yeilding rice seed, it will naturally give him a large income, make his life more comfortable and his burden more bearable.

In this context the questions and answers on the Calling Attention motion in this morning's session of the House are a sad commentary on what happens to the poor agriculturist. Is it necesary to ruthlessly beat up people in village after village for a little difference over a levy? It is not my purpose to repeat all that happened in the morning, but I cannot but say that it is a very sad commentary that this should happen in a free country after twenty years of independence. Much more so I say with great regret that the hon. Minister should get up and answer in this callous manner. The last debate took place on the 14th August. Today is the 19th. In five days he should have at least got some more information for us instead of repeating the old police report that nothing has happened. Responsible people make serious allegations and after so many days we are told that nothing has happened. Surely in five days, when such serious allegations were made on the floor of the House—on the last occasion we met here on the 14th—and when attention was drawn to what had already appeared in certain newspapers, the Home Ministry should have gone about it in more earnest and made available to us, to this House, the actual facts, whether what had been said

was true or not. I cannot but charge the Government with being utterly callous in this matter.

I referred briefly to the industrial backwardness of U.P. It is said by certain people. I am afraid I cannot assert whether U. P. is industrially backward or not, but I know there are many developed industrial centres. Not far from here, there is a centre called Modinagar, where an industrial complex has grown up because of the enterprise of one person or one family. There are several others and, of course, we have the large town of Kanpur. In this House we have discussed the affairs of the British India Corporation more than once. I do not wish to cover the same ground again. Unfortunately I was not present two or three days ago when the hon. Minister answered certain questions. I wish to repeat and charge the Minister with deliberately misleading the House. The Minister of Industrial Development has repeatedly given different answers on different occasions. I had pointed out that the Government were bound not to interfere in the management, in the appointment of directors. Yet they have virtually interfered every time. They had brought somebody from Bombay. Now, I understand, that because things are not as they like even though I understand that under the management of a former Member of Parliament things are looking better in other directions, except the Cooper, Allen plant, he is to be moved or shifted to make room for another favourite, who has not seen any business, but has been one of the oldest communists in this country. I do not know—I hope the Minister will enlighten us whether this rumour is true or not—but is that going to do any good? When it was pointed out from this side, from these Benches, and I had particularly pointed out the mistake about the Jayanti Shipping Company, Government went on repeating and saying that everything was all right. Ultimately it was proved that it was not all right. This is exactly a similar instance where a large industrial concern or complex, the British India Corporation, is being ruined because the Congress wants more money and wants to use the money for it election purposes, to make things more comfortable for its favourities. Otherwise things could be settled in a few minutes. What is needed is the toning up of the administration of that Corporation. I have taken trouble to go into it. As many Members in this House and the other House know, some time last year I think a Member of that House was asked to look after the company's affairs. He has been able to put things into proper shape. There is only one unit, the leather unit, which is not doing well and there also the trouble is Prime Minister. At one time, it was suggested that a new shoe factory should be started in the Prime Minister's constituency. When I pointed out that there is this leather unit of the BIC and why it is not being used, I am told now that the starting of a new leather factory in that district has gone into the background. But nothing is being done to set this right. In the meantime, every month Rs. 5 lakhs of the shareholders' money and the country's economy are going down the drain because the Government cannot make up its mind. It is a sad commentary on the Industry Minister or the Commerce Minister, or both, that they are not able to put things right. Unfortunately the Government seems to be drifting. There does not seem to be any firmness with its policy. They are hesitating, wavering, and not taking action in time, which is worse than taking even a wrong action. If you take a wrong action, you learn that this is wrong and you can correct your mistake. But if you do not take action and you just drift, you go on drifting, drifting and drifting and mistakes multiply. That is what is happening with the administration of Uttar Pradesh, and I referred to this company, the British India Corporation; and that is what is happening to this Government.

Sir, it is not only Uttar Pradesh which is in this state in our country today. Bihar is under President's rule. Bengal is under President's rule. The three major States are under President's rule. There is no democratic Government functioning, and yet we have the Congress Government sitting here as if it is in the majority. I say that because of its misrule, because of its not being able to take firm and timely action, it has failed to govern this country, and therefore this Government has no moral right to sit in authority in the Centre. This Government is just drifting and carrying on. One after another they make some balance here and some balance there, which is neither helping the country nor the poor people of this country. This is the worst thing that can happen anywhere.

On the law and order situation we have had a long discussion this morning. I do not want to repeat it. But I would say that if the law and order situation in the Centre is weak, it is bound to be reflected elsewhere, and Uttar Pradesh is perhaps a reflection of what things are in Delhi. If we have a

[Shir Dahyabhai V. Patel]

firm administration, an administrtion that is able to preserve law and order properly in Delhi, Delhi should be in a position to supply trained policemen, trained people to keep law and order, who can deal firmly with the people without being cruel, without using more violence than is absolutely necessary. After all firm government does not mean cruelty or ruthlessness. A firm government is a government that takes action when necessary and never uses more force than is necessary. Today the Government of India is in that condition—except in a few places where there is a local-Government functioning, a State Government functioning which is alive and active—where the actions of the Central Government or the supervision of the Central Government are nominal and superficial as this morning's discussions on what happened in places like Ballia and other areas in Uttar Pradesh have shown. Therefore, it is high time, if this condition is to continue, that the Home Minister should apply his mind to improving the situation. I am afraid the Home Minister has failed the country in the manner in which he has answered today. He does not seem to be fully aware of what is happening in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is his responsibility. If Uttar Pradesh is under President's rule, it is primarily the responsibility of the Home Minister. The Home Minister does not seem to be aware of what is happening there, and Members of Parliament from that area come and report things here, and he is waiting for reports from his district officers. He cannot even take action, he cannot even find out information in five days when serious matters are raised on the floor of the House. This is a very very sad commentary on what is happening in Uttar Pradesh. It is time that, if this Government wants to, it should end such things otherwise the people will have to end this Government.

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमन महोदय, उत्तर प्रदेश में गवर्नर शासन की अवधि बढाने का जो प्रस्ताव है, उसकी मैं ताईद करता हू। इस प्रस्ताव पर भाषण देते हुए हमारे कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने, खासकर श्री राजनारायण जी ने डेमोक्रसी और प्रजातंत्र की दुहाई दी और जो वहां के राज्यपाल हैं उन पर नई चढ़ाई की और नया आक्रमण किया।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक कुशल प्रशासक हैं और यह बात सब लोग अच्छी तरह से जानते है और कई एसे मोके आये जो उन्होंने यह बात दिखलाने की कोशिश की उन्होंने कांग्रे वालों को भी यह मौका नहीं दिया कि व वहां पर शासन करे जबकि कांग्रेसवालों का वहां पर बहुमत था। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और कांग्रेसवालों को वहां पर राज्य करने की अनुमति नहीं दी। वे इस मामले में बहुत ही निष्पक्ष रहें लेकिन फिर भी राजनारायण जी जो कि सारी खुराफात और झगड़े की जड़ है, यह बात कैसे कहते है कि राज्यपाल वहा पर निष्पक्ष रूप से शासन नहीं चला रहे हैं। अगर वे इस तरह की खुराफात नहीं करते तो आज यह नौबत नही आती कि वहां पर गवर्नर का शासन 6 महीने या 9 के लिए बढ़ाने का मौका आता। लेकिन जैसा मैने कहा कि सारी जड़ श्री राजनारायण जी हैं जो एस० एस० पी० के नेता हैं और जो डैमोक्रसी की दुहाई देते रहते है। लेकिन आज वे स्वयं ही इस डैमोक्रसी की हत्या कर रहे है।

जसा कि बतलाया गया कि श्री राजनारायण जी की पार्टी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गाधी जी को बनारस में गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि श्री चरण सिंह की सरकार और जनसंघ की सरकार वहां पर कठिनाई मे थी और उनके कुछ साथी यहाँ पर अरेस्ट हो गये थे। कभी कभी श्री राजनारायण जी सरकारी पार्ट अदा करने की बात करते हैं और यह जो उनके सोचने का तरीका है वह गलत है। मैं समझता हूं कि श्री डाह्याभाई पटेल भी उनके फेरे में पड़ जाते हैं जो कि एक समझदार आदमी माने जाते हैं और संतुलित विचार रखते है। चूकि वे उनकी ही बगल में बैठते है, इसलिए उन्हे भी हवा लग जाती है। जिस तरह से श्री राजनारायण जी बोलते है, उसी तरह से श्री डाह्याभाई भी बोलते है और उनके साथ

गहराई मे जाना चाहते है । उत्तर प्रदेश मे श्री चरण सिह को सरकार चली गई थी और चूकि वहा पर काग्रेसवालो का बहुमत था, इसलिए उसके बाद श्री गुप्ता जी को सरकार बनाने के लिए कहा जाता । लेकिन कुछ पार्टिया थी, विशेषकर हमारे राजनारायण जी की पार्टी इस चीज को नही चाहती थी कि वहा पर काग्रेस की सरकार बने । वह अगर किसी चीज को नही चाहते कि नही होगी, तो नही होगी । इसलिए जैसा मैंने पहले कहा कि सारी खुराफात की जड वे ही थे और ऐसी नौबत उन्होने ही पहुचाई कि वहा पर दो बार गवर्नर का शासन लागू करना पडा । श्री राजनारायण जी अपने भाषणो मे डेमोक्रेसी और प्रजातत्र की दुहाई देते है । प्रजातत्र को हम भी समझते है और माननीय सदस्य भी समझते है । उन्होने कहा कि आज उत्तर प्रदेश मे क्रिमिनल ला अमेडमेट ऐक्ट लागू किया जा रहा है उन्होने कहा कि ब्रिटिशो के जमाने से जो कानून था उस को आज फिर से वहा पर लागू किया जा रहा है । ब्रिटिशो के जमाने मे जितने क्रिमिनल प्रोसीजर ऐक्ट थे और दफा 302 भी उन्ही के जमाने से लागू था, वे आज भी लागू किये जा रहे है । इसके सबध मे मै यह निवेदन करना चाहता ह कि आज हमारे देश मे जो प्रो पाकिस्तानी और प्रो चाइनीज एलीमेट्स है, जो देशद्रोही का काम कर रहे है, उन्हे पकडने के लिए इस तरह के कानूनो को आवश्यकता है । ो राजनारायण के पार्टी के लोग इस बात को अच्छो तरह से समझते है कि इस देश मे ऐसे तत्व है जो मुल्क मे हिसा को बढावा देना चाहते है । इस तरह के तत्व मुल्क मे सब जगह मौजूद है । इस तरह के जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तानी एलीमेट्स है, जो मुल्क मे साम्प्रदायिकता को बढावा देते है, जो मुल्क मे दगा कराना चाहते है, जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तान के एजन्ट है, उनके खिलाफ इस तरह का कानून इस्तेमाल किया जाना आवश्यक हो जाता है । आज वही लोग इस सरकार को बदनाम कर रहे है और कहते है कि सरकार क्रिमिनल ला अमेन्डमेट ऐक्ट लागू कर रही है । यह कोई नई बात नही है कि जब ब्रिटिशरो ने हम लोगो को अरेस्ट इस कानून के मातहत किया, ो आज जो, देश मे साम्प्रदायिकता को भावना फैला रहे है, जो प्रो चाइनीज और प्रो पाकिस्तान एजन्ट है, उन्हे क्यो नही देश की सुरक्षा की खातिर इन कानूनो के मातहत गिरफ्तार किया जाय । आज वे ब्रिटिशरो की दुहाई देते है और उत्तर प्रदेश मे जो राज्यपाल का शासन है उसका ऐसा चित्र र । है जैसे कि वहा पर किसी को बोलने की इजाजत ही नही है और न ।किसी को काम करने की आजादी है । इस तरह की जो बात उन्होने कही वह बिल्कुल असत्य है । इस तरह से बढा वढा कर कोई जबावदेह पार्लियामेट का सदस्य इस तरह की बात कहता है तो वह शोभा की बात नही है । राजनारायण जी का तो यह पेशा है और उस के चलते वह उससे मजबूर भी है । मेरा तो यह कहना है कि वहा जो परिस्थिति पैदा हो गयी थी और जो परिस्थिति वहा है उसमे यदि गवर्नर का शासन 6 महीने की अवधि के लिये वहा पर और बढाया जाता है, उस समय तक के लिये जब तक कि एलेक्शन नही हो जाते, तो वह उचित ही है । हाँ, यदि राजनारायण जी कहते कि एलेक्शन फरवरी मे न हो कर नवम्बर मे होने चाहिये ो मै इसको समझ सकता था लेकिन जो गवर्नर का शासन वहा पर लाने वाले है, कराने वाले है उन के मुह मे इस तरह की बात निकले यह शोभा की बात नही ह । यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश सबसे बडा प्रदेश है । साढे आठ करोड की वहा की आबादी है और जिस तरह से उस की तरक्की आगे को होनी चाहिये वह तरक्की नही हो रही है । मैंने तो एक बार कहा था कि जो, प्रधान मत्री होते है वहा से उन को उसका

[श्री शीलभद्र याजी]

खयाल करना चाहिये तो सरकार की तरफ से बयान निकलने शुरू हो गये कि यह गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर सारे देश के होते हैं। मैंने कोई चढाई नही की थी। लेकिन हकीकत यह है कि जब, प्लानिग मे रुपया हम इसानो की तादाद के अनुसार देते हैं, कितना कार्य कहा हो रहा है इस को देखने है तो उस मे ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये। उत्तर प्रदेश मे कुछ नही हुआ यह कहना भी गलत है। वहा इडस्ट्रीज नही हुई, कारखाने नही हुए, ऐसा नही है आप गाजियाबाद मे आगे चले जाइये पता चल जायगा कि क्या हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, जिस के लिये कि डाह्याभाई जीने भी कभी घडियाल के आसू बहाये हैं, वह जरूर पिछडा हुआ इलाका है। अगस्त की महान क्रान्ति मे उस ने सब से ज्यादा भाग लिया है, उस को बढाने के लिये खास कर जो गंडक का प्रोजेक्ट है, जो यू० पी० और बिहार दोनो के लिये है, वह अगर कामयाब हो जाता है, जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनो को उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और वहा सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। तो इसलिये प्लानिग मे जो रकम दी जाय उस के द्वारा कोशिश की जाय कि यह गडक प्रोजेक्ट जो है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनो के लिये मुफीद है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इन शब्दो के साथ मै फिर सरकार से, केन्द्रीय सरकार से यह गुजारिश करूगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ रही है उस के अनुपात मे उसका विकास नही हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था वहा होनी चाहिये और इडस्ट्रियली भी उसकी उन्नति होनी चाहिये। इस के साथ साथ जो हमारे दूसरे विरोधी भाई है उन को भी कोशिश करनी चाहिये कि उत्तर प्रदेश मे जिस किसी की सरकार बने वह कुछ दिन तक चले। यह जरूर है कि गवर्नर के शासन मे जनता की आवाज सब जगह पहुच नही सकती, एम० एल० एज० वाली व्यवस्था साथ साथ नही चला सकती इसलिये ही कहना है कि ऐसी हरकत न करे कि जिन के कारण गवर्नर शासन ही वहा चलता रह। इसलिये गवर्नर पर जो राजनारायण जी ने चढाई की है कि उनकी वजह से यह सब खुराफात हो रही है, वहा का शासन ठीक नही है, वहा डेमोक्रसी की हत्या हो गयी है यह सब कपोल कल्पित बाते है और मेरी गुजारिश है कि अगर सारी राजनीतिक पार्टियाँ आपस मे ठीक आचरण नही करती हैं तो इस तरह का गवर्नर शासन वहा 5 वर्ष तक ही चलता रहे वही अच्छा होगा। अगर हम ठीक से नही चलते हैं तो यह राष्ट्रपति शासन वहा बढता जाय यह अच्छा होगा बनिस्बत इस के कि इस तरह की खीचातानी हो।

एक माननीय सदस्य : केद्र मे भी करा दीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : यहा भी करायेगे यदि यहा गडबड-शडबड कर के कोई चरण सिह आप बना लेगे जिस की उम्मीद नही है। इसलिये मै इस प्रस्ताव की ताईद करता हू। मै सरकार से फिर अनुरोध करूगा कि वह प्लानिग के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिये जो ज्यादा से ज्यादा रुपया है वह दे और खास कर जो प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं उन मे ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिये और औद्योगिक प्रगति भी होनी चाहिये। इन शब्दो के साथ मै इस प्रस्ताव की ताईद करता हू।

श्री पीताम्बर दास : आदरणीय उपसभापति महोदय उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रपति का शासन जिन हालात मे लागू हुआ उस के बारे मे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने उस दिन जब प्रस्ताव पेश किया था, तो यह कहा था कि इसकी चर्चा सदन मे काफी हो चुकी है, इसलिये

उस का जिक्र करना बेकार है। मैं भी इसी वजह से उस का जिक्र नही करता क्योकि उस की चर्चा पहले काफी हो चुकी है। जिस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था विधान सभा भग करने के बाद तो उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने और वहा के मुख्य सचिव ने, दोनो ने अलग अलग यह वक्तव्यो द्वारा यह आश्वासन दिया था कि राष्ट्रपति के शासन काल मे उन नीतियो मे कोई अदल-बदल नही होगी कि जो सविद सरकार के द्वारा बरती जा रही थी लेकिन अगर ध्यान से देखा जाय तो जिस दिन से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है उस दिन से आज तक का उत्तर प्रदेश का इतिहास राज्यपाल के वचन-भग से भग हुआ है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हू जिन से यह बताने का प्रयत्न करूगा कि सविद सरकार की जितनी मुख्य नीतिया थी और जितने उस के महत्वपूर्ण निर्णय थे वह सब या तो बदल दिये गये, या कार्यान्वित नही किये गये, और या उन को तोड मरोड कर इस तरह जनता के सामने रखा गया है जिस से सविद सरकार की बदनामी हो।

एक तो महत्वपूर्ण निर्णय सविद सरकार ने यह लिया था कि जितने सार्वजनिक कार्यकर्ता है यानी पब्लिकमैन यदि उन के विरुद्ध कोई आरोप हो, बेईमानी के और भ्रष्टाचार के या कोई और अनतिकता के तो उन के सबध मे मे जाच पडताल की जा सके इसके लिये एक कानून सविद सरकार पास करने वाली थी यानी पब्लिकेमैन्स इक्वायरी बिल लाने वाली थी। अक्तूबर 1967 मे उस के सबध मे आर्डिनेन्स जारी किया गया था—पब्लिकमन्स इक्वायरी आर्डिनेन्स। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह आर्डिनेन्स रद्द कर दिया गया और जितने जाने माने भ्रष्टाचार पब्लिकमैन है जिन को यह डर हो चला था कि उन के खिलाफ कार्यवाही होगी, जाँच पडताल होगी और लोगो को भी उनके खिलाफ आरोप साबित करने का मौका मिल सकेगा वह सब खत्म कर दिया गया। यह एक बहुत बडा निर्णय था सविद सरकार का। राज्यपाल ने अपने वचन को भग किया और उस को रद्द कर दिया।

दूसरी बात, जिला परिषदो मे जितने ऐसे अध्यक्ष थे कि जिन के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत थी उन की जाच-पडताल शुरू हो गयी थी, बेईमानी के आरोपो की और गबन के आरोपो की। यह सब केसेज जिनकी जाच शुरू हो गयी थी, समाप्त कर दिये गय राष्ट्रपति शासन आने के बाद।

तीसरी बात, जिस समय सविद सरकार ने 1967-68 का बजट प्रस्तुत किया था तो उस मे 'भूमि भवन कर' समाप्त कर दिया यानी लैंड एण्ड बिल्डिग टैक्स। बहुत आन्दोलन प्रदेश में हुये थे उसकी समाप्ति के लिये। लोग जल गय थे और उनके उपर लाठिया भी चली थी। जब सविद सरकार आई तो उसने अपने वायदे के मुताबिक जो इलेक्शस के जमाने मे उन्होने किये थे कि हम सरकार मे आते ही इसको खत्म कर देगे, उसको खत्म किया। इसमे सन्देह नही कि उसके कारण उत्तर प्रदेश की करीब ढाई करोड रुपये सालाना की आमदनी कम हो गई, परन्तु उस सब का सविद सरकार ने बजट मे प्राविधान कर दिया था। जिस उत्तर प्रदेश मे पिछले 15, 16 साल से लगातार घाटे का बजट बनता आता था वहाँ सविद सरकार ने 55 लाख रुपय का सरप्लस बजट दिया। और जिस उत्तर प्रदेश मे हर साल टैक्स लगाय जाते थे सविद सरकार ने एक भी नया टैक्स नही लगाया और खास कर के तब जब कि दस करोड रुपया इसी साल सरकारी कर्मचारियो को डी० ए० मे देना पडा और 5 करोड रुपये का जो चौथाई लगान बढा हुआ था पाकिस्तान के आक्रमण के

[श्री पीताम्बर दास]

समय में वह माफ किया। यानी इस 17½ करोड़ के अन्तर के बाद भी संविद सरकार यह संकल्प ले कर चली कि कोई नया टैक्स नही लगायेंगे। फिर भी उसने बजट में 55 लाख रुपये की बचत दी। संविद सरकार द्वारा जो भूमि भवन समाप्त कर देने का ऐलान कर दिया गया था। उसको पूरा करने की कार्यवाई नहीं की गई। वह रोक दिया गया।

चौथी बात यह है कि संविद सरकार ने सवा छः एकड़ और उससे कम जोतों के ऊपर लगान की माफी की कार्रवाई चालू की थी। राज्यपाल महोदय ने उस कार्रवाई को भी रोक दिया और आगे वह कार्रवाई चली नहीं।

पांचवीं बात संविद सरकार ने एक हज़ार रुपया या उससे अधिक जिन सरकारी कर्मचारियों की स्टार्टिंग पे थी उनके पे स्केल्स को रिवाइज़ करने के लिये निर्णय लिया था और रिवाइज्ड़ पे स्केल्स एक अप्रैल, 1967 से लागू किये जाने थे। उस सब के लिये बजट में प्राविधान था। राज्यपाल महोदय ने उस निर्णय को लागू तो किया लेकिन एक अप्रैल 1968 से लागू किया। कर्मचारियों को एक साल के रुपये की हानि हो गई।

दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में संविद सरकार ने इंटरमीडिएट के लिये केवल चार विषय कर दिये थे। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही राज्यपाल ने चार से बढ़ा कर के पांच विषय कर दिये और इस तरीके से अंग्रेजी की अनिवार्यता जो संविद सरकार ने समाप्त कर दी थी, उसको फिर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चालू कर दिया।

गृह मंत्री महोदय ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय राज्यपाल महोदय के एक काम की बड़ी प्रशंसा की थी कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन के मिलने में जो कठिनाई होती थी, कि प्रबंधक लोग जितना रुपया वास्तव में देते थ उससे अधिक की रसीद उनसे ले लेते थे। उसे दूर करने के लिए राज्यपाल महोदय ने यह किया कि उनकी अदायगी के लिये अब क्रास्ड डाफ्ट या क्रास्ड चेक देने की व्यवस्था की है। मैं इस सम्बन्ध में यह बता दूं कि संविद सरकार के शिक्षा मंत्री ने यह व्यवस्था कर दी थी कि जो 52 हज़ार माध्यमिक शिक्षक हैं उनका वेतन सीधे राज्य सरकार के खज़ाने से मिला करेगा। उसमें कोई दिक्कत किसी किस्म की नहीं थी। करीब 25 हजार स्कूल्स हैं उत्तर प्रदेश में और राज्य सरकार की ओर से कुल मिलाकर 9 करोड़ 68 लाख रुपये की सहायता उनको दी जाती है। अध्यापकों का वतन केवल 5 करोड़ 87 लाख होता है। 3 करोड़ 80 लाख रु० वेतन देकर बचता है। विद्यालयों के बाकी खर्चे की व्यवस्था जो रुपया फीस में वसूल होता है विद्यार्थियों से उससे करने के बाद केवल 1 करोड़ 80 लाख की कमी पड़ती जो राज्य सरकार को देना पड़ता। शिक्षकों को आसानी हो जाने के साथ ही इस तरीके से सीधे सीधे दो करोड़ की बचत सालाना राज्य सरकार को होने वाली थी। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन लागू होते ही उस सारी स्कीम को खटाई में डाल दिया और यह दो करोड़ रुपये की बचत जो उत्तर प्रदेश को होने वाली थी और जो 52 हजार माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की समस्या हल होने वाली थी वह सब समाप्त हो गई।

संविद सरकार ने 26 जनवरी, 1968 से हिन्दी अनिवार्यतः सारे क्षेत्रों में लागू कर दी थी, प्रशासन में भी, स्कूलों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन राज्यपाल महोदय ने इंटरमीडिएट में पांच विषय कर के अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी को फिर लागू किया। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने बनारस की नगर महापालिका में एक ऐसी परम्परा डाल दी है जो आज भले ही दिक्कततलब न दिखाई

देती हो और आने वाले मिड टर्म एलेक्शस की दृष्टि से बडी अच्छी मालूम होती हो काग्रेस को, परन्तु किसी समय जा कर के यह प्रदेश के लिये बहुत खतरनाक सिद्ध होगी। महापालिका मे हिन्दी मे शपथ ली जानी चाहिये यह कानून मे है, उसके नियमो मे है और शपथ दिलाने का काम नगर प्रमुख का था। राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेस जारी कर के नगर प्रमुख के साथ साथ कुछ और भी अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं जो शपथ दिला सकते हैं। उन्होने हिन्दी की अनिवार्यता हटा कर के एसी भाषा मे भी शपथ दिलाने की व्यवस्था कर दी है जिस के कारण हमारे देश के टुकडे हुये हैं। यह काम राज्यपाल के केवल वचन भग का नही है बल्कि यह काम राष्ट्रद्रोह को बढ़ावा देने का है। और राष्ट्र के लिये आगे चलकर घातक सिद्ध हो सकता है। मैं चाहता हू कि गृह मत्री विशेष रूप से इसको नोट कर ले।

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद् मे राज्यपाल की ओर से चार सदस्यों के हर दो साल बाद नामिनेशस होते हैं। उन नामिनेशस के लिये सविधान के अनुच्छेद 171 (5) में व्यवस्था है कि जो लोग नामिनेट किये जायेंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी।

> Art. 171(5)—"The members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of clause 3 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely, literature, science, art, co-operative movement and social service".

इस बार जो चार सदस्य राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल महोदय ने विधान परिषद् मे नामिनेट किये है, मैं उनका नाम जानबूझ कर नही ले रहा हू क्योकि व्यक्तिगत आलोचना करने की मेरी आदत नही है। और विशेष रूप से एसे लोगो की जो अपने बारे में यहा कुछ न कह सकते हों। परन्तु आप एक एक को देख ले और मैं इस बात की चुनौती देता हू कि उन चारों मे से एक मे भी इन योग्यताओ मे जिनका उल्लेख सविधान मे है एक भी योग्यता मौजूद नही है। अभी हाल मे ही राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मे विश्वविद्यालयों की कार्यसमितियो मे, उनकी कोर्टस में प्रशासन के अधिकारियों की नियुक्ति की हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्जिक्युटिव मे इलाहाबाद डिवीजन के कमिश्नर को नियुक्त किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट मे वहा के जिलाधीश को नियुक्त किया है, और भी अन्य यूनिवर्सिटियों मे प्रशासन के अधिकारियों को नियुक्त किया है। मैं जानना चाहता हू कि एक ओर जब उनके ऊपर यूनिवर्सिटीज की आटोनामी को स्वीकार किया है तो अप्रत्यक्ष रूप मे उसके सरकारी प्रभाव और नियत्रण के क्या माने हैं। श्रीमान्, केवल इतना ही नही, विधान सभा के सचिवालयमे भी जो पद्धति काम करने की होनी चाहियें उसके ऊपर भी राज्यपाल ने कुठाराघात किया है। मैं समझता हूं वह कुठाराघात केन्द्रीय सरकार ने भी किया है। यह जो प्रोक्लेमेशन है

dated 25th February as amended by Proclamation dated 15th April 68.

इसमे जो सविधान का अनुच्छेद 179 है उसके क्लाजज (बी) एड (सी) और फर्स्ट प्राविजो ये तो सस्पेड किए गए हैं, दूसरा प्राविजो सस्पेड नही किया गया है। दूसरा प्राविजो यह है—

> "Whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution".

इस प्रोक्लेमेशन मे स्पीकर को बनाए रखा है, परन्तु सेक्रटोरियल स्टाफ के बारे में स्पीकर के जो अधिकार हैं वे समाप्त कर दिए गए हैं। सविधान के अनुच्छेद 187 के सबक्लाज (3) मे दिया गया है—

> "Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with

[श्री पीताम्बर दास]

the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause".

जो प्रोक्लेमैशन है इसमे अनुच्छेद 187 (3) को, "So far as it requires consultation with the Speaker of the Legislative Assembly..' सस्पेड कर दिया गया है। मै यह जानना चाहता हूं कि असेम्बली का स्पीकर बनाए रखना और जो असेम्बली का सेक्रेटीरियल स्टाफ है उसके सम्बन्ध में नियम बनाते समय उसका न पूछा जाना यह कौन सी प्रजातंत्रीय पद्धति के अन्दर उचित है। यह प्रावीजन 187 संविधान में रखा ही इसलिए गया था कि लेजिस्लेचर्स का जो सेक्रेटीरियल स्टाफ है प्रिसाइडिग आफीमर्स का उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। राज्यपाल महोदय ने यह कदम उठाया उस सारे स्टाफ के बारे में जिसकी स्वतंत्रता संविधान मे बनाए रखी गई है और जिसकी स्वतंत्रता के लिए विठ्ठलभाई पटेल ने लार्ड इर्विन के साथ झगड़ा किया था। हमारे लेजिस्लेचर का जो स्टाफ है It should be free from all pressures. उन्होने उस सारे स्टाफ को शासन के और, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्डर में, यानी एग्जीक्यूटिव के अन्डर में ला कर खड़ा कर दिया है। इससे बड़ा लोकतंत्रीय पद्धति के नाश का दूसरा कदम नही हो सकता।

श्रीमन्, मै इस बात के औचित्य मे नही जाता कि पार्टीज ने रजामन्दी इस बात के लिए दे दी कि इलेक्शन जनवरी में कराए जायं या फरवरी में कराए जायं। मै साफ तरीके से यह बता देना चाहता हूं कि यह देश पार्टीयों से बड़ा है और कांग्रेस राज्यपाल को या प्रेसिडेन्ट को, किसी को भी यह अधिकार नही था कि—चाहे राजनीतिक दलों की रजामन्दी से ही क्यों न हो—कि इस देश की प्रजातंत्रीय पद्धति के रास्ते मे रुकावटें डाली जायं। सवाल उसूलों का है, सवाल किसी की रजामन्दी का नहीं है। हमने संविधान में यह स्वीकार किया है कि देश का शासन प्रजातंत्रीय पद्धति से चलेगा। इस तरह का कोई बहाना नही चल सकता कि पार्टीज ने रजामन्दी दे दी है इसलिए इलेक्शन टाल दिया गया है जनवरी तक के लिए या फरवरी तक के लिए।

मै दो बाते और कह कर समाप्त कर दूगा। 15 अप्रैल, 1968 को देहरादून मे चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से एक भोज हुआ। उस भोज मे राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने स्वयं कहा—

"A good Government is never a substitute for self-government".

और हमारे उपगृह-मत्री महोदय इस सदन में यह कह रहे थे कि राज्यपाल का शासन बहु अच्छा है, इसलिए इसकी मियाद आगे को बढ़ानी चाहिए। राज्यपाल महोदय तो कहते है, "A good Government is no substitute for self-government". और गृह उपमत्री महोदय वकालत कर रहे है कि वह बड़ी अच्छी गवर्नमेट है, इसलिए चलती रहनी चाहिए। श्रीमन्, ये सारी बातें सुनने के बाद आप देखेंगे कि शुरू से आज तक एक-एक कदम के ऊपर वचन भंग हुआ है। मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार अपने वचन को नही रख सकती है, जो सरकार एक-एक कदम के ऊपर वचन भंग करती हो, उसको एक मिनट भी टिके रहने का अधिकार नही है। उसे संवैधानिक अधिकार उप-गृहमंत्री महोदय दिलाना चाहते है दिला भी देंगे अपने बहुमत के आधार पर, लेकिन अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाय तो इस सरकार को एक मिनट भी टिकने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।